न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 81/प्रा0पत्र/2019.

1. उद्दा आयु 67 वर्ष आ0 श्री खेमा जाति रेगर निवासी गुढा गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. छीतर आयु 70 वर्ष आ0 श्री सालगा जाति मीणा निवासी गुढा गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
2. घनश्याम आ0 श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासी गुढा गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
3. कमलेश आ0 श्री रघुनाथ जाति मीणा, निवासी गुढा गोकुलपुरा, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
4. कन्या बाई पुत्री श्री रघुनाथ पत्नि श्री राजू जाति मीणा निवासी मूण्डया तहसील दूनी, जिला–टोक (राज0)।
5. मूलीबाई पुत्री श्री रघुनाथ पत्नी श्री लादू जाति मीणा निवासी मूण्डया, तहसील दूनी, जिला–टोक।
6. मनभरी पुत्री श्री रघुनाथ पत्नी श्री देवलाल जाति मीणा निवासी जलसीना तहसील दूनी, जिला–टोक।
7. रूकमणी पत्नी श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासी गुढागोकुलपुरा तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
8. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 251 (क) आर0टी0एक्ट

अधिवक्ता प्रार्थी – विजय माहेश्वरी

अधिवक्ता अप्रार्थी – महेश नामा (अप्रार्थी सं0 2 व 3), शम्भूदयाल शर्मा (अप्रार्थी सं0 1)

निर्णय दिनांक :– 26/02/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गोकुलपुरा पटवार क्षेत्र गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में प्रार्थी के स्वामित्व व अधिपत्य की खाता संख्या 15 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1716/325 रकबा 5 बीघा विस्थित है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमि खसरा संख्या 325 का रकबा काफी बडा है उसमें से 5 बीघा भूमि भंवरलाल आ0 श्री गोपाल मीणा को आंवटित है जो खसरा संख्या 1715/325 के रूप में 5 बीघा भूमि प्रार्थी को जो रिकार्ड में भूमि खसरा संख्या

16/325 के रूप में, 8 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 छीतर को जो राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 1714/325 के रूप मे व 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि महादेव जी महाराज के जो राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 1784/325 के रूप में दर्ज है। भूमि खसरा संख्या 325 में से आंवटित भूमियों का नक्शा ट्रेस में तरमीम नही किया हुआ है। उक्त भूमि मौके पर नजरी नक्शें के अनुरूप प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 एवं अन्य खातेदारान काश्त कर रहे है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि पर जब से उक्त भूमि प्रार्थी को आंवटित हुई है तब से ग्राम नया गुढा से ख्याता का झौपडा जाने वाले रास्ते खसरा संख्या 443 से भूमि खसरा संख्या 1881/328 के उत्तरी ओर बने सीसी रोड से भूमि खसरा संख्या 1714/325 व भूमि खसरा संख्या 1881/328 के मध्य उत्तर से दक्षिण बनी हुई मेरे से अपने स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 1716/325 पर आता रहा है। उक्त रास्ते से प्रार्थी अपने खेतों पर कृषि यंत्र, खाद बीज फसल आदि को लाते ले जाता रहा है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता नही है। जनवरी 2019 तक उक्त रास्ते पर किसी भी पक्ष का कोई अवरोध नही था। जनवरी 2019 में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी भूमि खसरा संख्या 1714/325 व खसरा संख्या 1881/328 की मेर पर उत्तर से दक्षिण बने रास्ते को हांक कर अपनी भूमि में मिला लिया और प्रार्थी की भूमियों में आने जाने वाले रास्ते को बन्द कर दिया एवं विरोध करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हुआ है। प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा हांककर अपने खेतों में मिला देने से प्रार्थी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण करवाये जा रहे घर का निर्माण भी रूका पडा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से कई दफा उक्त रास्ते को अवरूद्व नही करने हेतु निवेदन किया किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रास्ते का चालू नही किया। प्रार्थी गरीब काश्तकार मजदूर पेशा व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 ताकतवर एवं लडाकू किस्म का व्यक्ति है। अप्रार्थी व उसका परिवार आये दिन गाली गलौच एवं लडाइ झगडा करते है एवं प्रार्थी को उक्त रास्ते से अपने खेतों पर नही आने जाने दे रहे है। प्रार्थी के पास अपने स्वामित्व की भूमियों पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। यदि प्रार्थी को उक्त रास्ता बहाल करवाकर नही दिलाया गया तो प्रार्थी की भूमि पर प्रार्थी काश्त ही नही कर सकेगा। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु कृषि भूमि खसरा संख्या 1714/325 व भूमि खसरा संख्या 1881/328 की मेर के मध्य उत्तर दक्षिण लम्बाई में 10 फुट चौडा रास्ता दिलाया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि में आने वाली भूमि की कीमत नियमानुसार अप्रार्थीगण को अदा करने अथवा न्यायालय श्रीमान को जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 की भूमि भी उक्त रास्ते में सम्मिलित है, इस कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण जनवरी 2019 में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ते को हांककर अपनी भूमि में मिला कर प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने जाने नही देने पर उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है।

अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को भूमि कृषि भूमि खसरा संख्या 1714/325 व भूमि खसरा संख्या 1881/328 की मेर के

उत्तर दक्षिण लम्बाई में 10 फुट चौडा रास्ता बाजार कीमत पर दिलाये जाने का आदेश प्रदान करते हुये रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि को अप्रार्थीगण के खाते में कम की जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गयं। **अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से** जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 9 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 व 11 कानूनी है। प्रार्थना प्रार्थी स्तीकार नही है अस्वीकार है।

अन्य आक्षेप – प्रार्थी जिस जगह पर रास्ता चाह रहा है वहां पर न–तो पूर्व में कोई रास्ता रहा है और न–ही वर्तमान में रास्ता मौजूद है। प्रार्थी ने जिस जगह पर रास्ते की मांग की है वहां पर अप्रार्थीगण के रिहायशी मकान बने हुये है वहां पर किसी भी हालत में रास्ता बनाया जाना संभव नही है। प्रार्थी खसरा संख्या 1714/325 जो छीतर पिता सालगा के खाते में दर्ज है उसकी भूमि के सहारे–सहारे सी0सी0 रोड बना हुआ है इसके बाद खसरा नम्बर 120 जो गैर मुमकिन नाला है उसके सहारे–सहारे रास्ता बना हुआ है। उसके बाद खसरा नम्बर 119 जो सिवायचक भूमि है जिस पर ग्रेवल रास्ता बना हुआ है जो प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1716/325 उत्तरी पश्चिमी कोने तक जा रहा है वहां से प्रार्थी अपनी भूमियों पर आ जा रहा है प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग नही कर अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि उक्त रास्ते पर सभी ग्रामवासी आराम से अपनी कृषि भूमियों पर आ जा रहे है।

अप्रार्थी संख्या 1 छीतर की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 325 का बडा रकबा होना स्वीकार है और आंवटन के अनुसार मौके पर काबिज चले आना स्वीकार है, लेकिन भूमि की तरमीम नही होना अस्वीकार है। अप्रार्थी व अन्य खातेदारान् की भूमियों की तरमीम हो रही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। सी0सी0 सडक गोकुलपुरा से ख्यातों का झोपडा में महादेवजी के स्थान पर सडक बनी हुई है उसके आगे कोई सी0सी0 सडक नही बनी हुई है। प्रार्थी जिस स्थान पर रास्ता होना बता रहा है वहां पर कोई रास्ता नही हैं। खसरा संख्या 1714/325 व खसरा संख्या 1881/328 के मध्य कोई रास्ता नही है। न तो मौके पर रास्ता है और न ही कोई रिकोर्ड पर है। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ता पूर्व से ही मौके पर बना हुआ है, जो गोकुलपुरा से ख्यातों का झोपडा होते हुये ईटून्दा जाने वाला रास्ता मौके पर बना हुआ है जो अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के पश्चिमी में होता हुआ प्रार्थी की भूमि के पास होकर निकला हुआ है। उक्त रास्ता आगे ईटून्दा जाता है। प्रार्थी को रास्ते की कोई आवश्यकता नही है। गोकुलपुरा से ईटून्दा जाने हेतु बने हुये रास्ते के समीप प्रार्थी की भूमि स्थित है और उक्त रास्ते से ही प्रार्थी अपनी भूमियों पर आता–जाता है। गोकुलपुरा से ईटून्दा जाने वाला रास्ता महादेव जी के स्थान तक पक्की सडक व सीसी सडक के रूप में बनी हुई है व महादेवजी के स्थान के बाद से ही अप्रार्थी की भूमि की पश्चिमी साईड पर व प्रार्थी की भूमि के सहारे मौके पर रास्ता बना हुआ है जो बदस्तूर चालू है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिये भूमि खसरा संख्या

1714/325 व 1881/328 के मध्य रास्ता दर्ज किये जाने की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी जिस स्थान पर होकर नये रास्ते की घोषणा चाहता है यानि रास्ता बनवाना चाहता है उक्त स्थान पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है, एक शाल बनी हुई है व बोरिंग लगा हुआ है तथा मोटर लगी हुई है इस प्रकार प्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग, उपभोग कर रहा है। यदि उक्त स्थान पर रास्ता घोषित कर दिया गया तो अप्रार्थी की भूमि का कृषि स्वरूप नष्ट हो जायेगा। प्रार्थी के पास पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने से नया रास्ता दिये जाने की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी ने केवल अप्रार्थी को परेशान करने के उदेश्य से ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1714/325 व 1881/328 के मध्य की भूमि का कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग नही किया है। न तो पूर्व में किसी है और न ही वर्तमान में कर रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित सम्पूर्ण तथ्य बनावटी होने से अस्वीकार है, बल्कि प्रार्थी जबरन अप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर रास्ता बनाना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। प्रार्थी ने इस चरण में जनवरी 2019 में रास्ते को हांकने के बाबत मिथ्या कथन किया है यदि जनवरी में रास्ता नष्ट नही किया है तो तत्समय प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्व क्या कार्यवाही की प्रार्थी ने मजह कार्यवाही प्रस्तुत करने का आधार बनाने के लिये उक्त मिथ्या कथन किया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता गोकुलपुरा से ख्यातों का झोपडा होते हुये अप्रार्थी व प्रार्थी की भूमि की पश्चिमी साईड पर बना हुआ है। गोकुलपुरा से ख्यातों का झोपडा होते हुये ईटून्डा रास्ता जा रहा है, जो मौके पर बना हुआ है उक्त रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के सहारे निकला हुआ है जिस पर होकर प्रार्थी सदैव से आ जा रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी की भूमि पर कोई रास्ता ही नही है तो प्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि पर निकलने देने का कोई प्रसन्न उत्पन्न नही होता है। रास्ता पूर्व से मौजूद होने से नया रास्ता दिये जाने की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित तथ्य मिथ्या व बनावटी होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 अस्वीकार है। पूर्व से रास्ता प्रार्थी की भूमि पर जाने हेतु मौजूद होने से नया रास्ता दिये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 मिथ्या होने से अस्वीकार है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नही हुआ है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 आदरणीय न्यायालय को श्रवणाधिकार नही है प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र विधमान रास्ते को विस्तार हेतु प्रस्तुत किया है, जिसका श्रवणाधिकार आदरणीय न्यायालय को नही है यदि पूर्व में रास्ता बना हुआ है और प्रार्थी उक्त रास्ते का पूर्व से उपयोग कर रहा है तो रास्ते के बाबत सिविल न्यायालय से सुखाधिकार की घोषणा करवानी चाहिये। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 11 न्यायालय से सम्बन्धित है। प्रार्थना प्रार्थी अस्वीकार है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व दिनांक 04.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व दिनांक 11.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई।

प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 के नियम 169 के तहत रिपोर्ट मंगवाई जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मन् पीठासीन अधिकारी द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में स्वयं मौका निरीक्षण हेतु दिनांक 09.02.2021 मुर्करर की जाकर वकील पक्षकारान को सूचित किया गया। दिनांक 09.02.2021 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से निरीक्षण नही किया जा सका। इस बाबत दिनांक 11.02.2021 नियत कर वकील पक्षकारान को सूचित करते हुये प्रार्थी व अप्रार्थीगण की मौजूदगी में पीठासीन अधिकारी द्वारा नियम 169 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में स्वयं मौका निरीक्षण किया गया।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 1716/325 ग्राम गोकुलपुरा प्रार्थी के खाते की भूमि है जिस पर मेरा कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 325 बडा रकबा है उनमें से 8 बीघा भूमि छीतर को खसरा नम्बर 1714/325 के आंवटित है व 1 बीघा भूमि खसरा नम्बर 1784/325 महादेव महाराज के रूप में रिकोर्ड में दर्ज है। मेरी खातेदारी भूमि में कोई रास्ता नही है। मौके पर हमे जैसे कब्जा दिया गया, वैसे ही हम काबिज है। इन्होने जनवरी 2019 में इस रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर दिया है। हमारे द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। यह रास्ता घोषित किया जावें। हम नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराने हेतु तैयार है।

वकील प्रार्थी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये वकील अप्रार्थी 1 ने कथन किया कि खसरा नम्बर 1714/325 व 1881/325 के बीच में इन्होने मौके पर रास्ता होना अंकित कर यहां से रास्ता मांग रहे है। वास्तविक रूप में यहां से कोई रास्ता नही है। खसरा नम्बर 119 में पूर्व से ही रास्ता मोजूद है। यह गोकुलपुरा से ईटून्डा जाने वाले रास्ते के समीप मौजूद है जिसका उपयोग प्रार्थी अपनी भूमियों पर आने जाने हेतु कर रहा है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सडक बनाई हुई है। नवीन रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य देखा जावेगा कि पूर्व में कोई रस्ता है या नही। जब प्रार्थी की भूमि पर जाने हेतु पूर्व में ही रस्ता विधमान है तो नवीन रास्ता नही दिया जा सकता है। जहां से यह रास्ता बता रहे है वहां में परिवार सहित निवास करता हूँ, बोरिंग लगा हुआ है, जानवरों को बांधने हेतु शाल बनी हुई है। यह पहाडी की ढलान पर है जहां कभी कोई रस्ता नही रहा है। प्रार्थना पत्र प्राथी खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये वकील प्रार्थी ने कथन किया कि इन्होने यह कार्यवाही पेश होने के बाद रस्ते की भूमि पर शाल बना ली है। अगर यह अन्य कोई रास्ता बता रहे है तो वह रास्ता तालाब में पानी भरने से बंद हो जाता है जिससे प्रार्थी को अपनी भूमियों पर आवाजाही में परेशानी होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता घोषित किया जावें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो/तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रकरण में 'तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पत्र कमांक :– 1397/राजस्व/2020 दिनांक 12.11.2020 से राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित रास्ते बाबत रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करवाकर न्यायालय में

सुत की, जिसमें अंकन किया है कि ग्राम गोकुलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 1716/325 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 1714/325 व 1881/328 के मध्य उत्तर–दक्षिण लम्बाई में 10 फीट चौडा रास्ता घोषित करने के सम्बन्ध में मौका देखा गया। प्रार्थी जहां रास्ता चाहता है वहां पर खसरा नम्बर 1714/325 में मौके पर बोरिंग लगा हुआ है एवं पशु बांधने की पक्की शाल बनी हुई है। खसरा नम्बर 1881/328 में पशु बांधने की पक्की शाल बनी हुई है। मौके पर सी0सी0 रोड से प्रार्थी जहां पर रस्ता चाहता है, वहां प्रार्थी के खाते की भूमि तक जाने की लम्बाई 305 फीट है। मौके पर वर्तमान में प्रार्थी के खाते की भूमि तक जाने हेतु खसरा नम्बर 119 व 325 सिवायचक भूमि से होकर ग्रेवल का रास्ता बना हुआ है जिसकी लम्बाई प्रार्थी के खाते की भूमि तक 795 फीट है। वर्तमान में प्रार्थी खसरा नम्बर 326 व 1715/325 व अन्य खातेदारों की सहमति से अपनी खातेदारी भूमि में आता–जाता है। वर्तमान में खातेदारी भूमि पर पहुंचने हेतु ग्रेवल सडक बनी हुई जो चालू है।

प्रकरण में मन पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था जिसमें भी तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पत्र कमांक :– 1397/राजस्व/2020 दिनांक 12.11.2020 से राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित रास्ते बाबत रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करवाकर न्यायालय में प्रस्तुत की सही पाई गई जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने हेतु खसरा संख्या 1716/325 तक ग्रेवल सडक बनी हुई है जो वर्तमान में चालू है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु पूर्व में ही रास्ता विधमान होकर चालू होने से नवीन रास्ता घोषित किया जाना उचित प्रतीत नही होता। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया जाना पाया जाता है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली